# आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –72 / 2023
प्रवीण कुमार शर्मा
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

## आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

| *आदेश की क्रम–संख्या और तारीख* | *आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर* | *आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ* |
|---|---|---|
| 20.04.2023 | प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 14513 / 2019 में दिनांक–20.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 09.03.2019 के विरूद्ध दायर है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश में अंकित है कि :–<br><br>**"In view of the nature of controversy raised by the petitioner against the grant of license to private respondent Nos. 6 and 7, we deem it appropriate to relegate the matter to the Divisional Commissioner in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the Government in exercise of the powers conferred under Sections 3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 read with Clause -36 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016."**<br><br>माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सविस्तार सुना।<br><br>वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वादी अपने आवेदन के साथ सभी अनिवार्य कागजात संलग्न किया था एवं वादी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के सभी अर्हता को पूरा करते है। अनुमंडल पदाधिकारी, | |

WEB COPY NOT OFFICIAL

मुजफ्फरपुर पूर्वी ने भी वादी के पक्ष में अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा किया था। फिर भी जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–04 एवं 05 का चयन कर दिया जबकि विपक्षी सं0–04 की माँ वार्ड सदस्य थी तथा विपक्षी सं0–05 कमजारे वर्ग से संबंधित है फिर भी अनारक्षित श्रेणी में उनका चयन हो गया जो गलत है।

विपक्षी सं0–04 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2017 में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड–औराई, पंचायत–भरथुआ में जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु रोस्टर कोटि सं0–930 पिछड़ा वर्ग आरक्षित तथा रोस्टर कोटि सं0–931 अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। जिसमें विपक्षी सं0–04 (श्री उज्जवल कुमार) ने रोस्टर कोटि सं0–930 पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन दिया था। वादी (श्री प्रवीण कुमार शर्मा) अनारक्षित वर्ग से है। जिसमें वादी एवं अन्य अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। विपक्षी सं0–04 (श्री उज्जवल कुमार) सबसे योग्य थे क्योंकि इनकी (श्री उज्जवल कुमार) योग्यता स्नातक है तथा जन्म तिथि 08.02.1985 है जो सभी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में सबसे अधिक उम्र के अभ्यर्थी है। फिर भी विपक्षी सं0–04 का औपबंधिक मेधा सूची में नाम नहीं आया तब (श्री उज्जवल कुमार) ने दिनांक 06.07.2018 को जिला स्तरीय चयन समिति, मुजफ्फरपुर के समक्ष आवेदन दिया कि वे 04 (श्री उज्जवल कुमार) सबसे योग्य अभ्यर्थी है। एवं उनकी माँ वार्ड सदस्य है। परंतु वे उनसे अलग रहते है। इसके बाद दिनांक 09.03.2019 को जन वितरण प्रणाली विक्रेता को नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक बुलाई गयी तथा उक्त बैठक में ग्राम पंचायत–भरथुआ के रोस्टर कोटि सं0–930 जो पिछड़ा वर्ग आरक्षित था उस पर विपक्षी सं0–04 (श्री उज्जवल कुमार) के नाम से अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया।

विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी

WEB COPY NOT OFFICIAL

सं0–05 ने अनारक्षित श्रेणी के ही आवेदन दिया था विपक्ष सं0–05 का अंक तथा उक्त वादी (श्री प्रवीण कुमार शर्मा) से अधिक था। जिस आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति ने उनका चयन किया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–04 के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं0–05 के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वादी अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत औराई प्रखंड में भरथुआ पंचायत में जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ। जिसमें अपीलकर्ता एवं अन्य अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा यह है कि अपीलकर्ता के पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी ने अनुशंसा किया था फिर भी विपक्षी सं0–04 का चयन हो गया। जबकि विपक्षी सं0–04 की माँ वार्ड सदस्य है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची में जब विपक्षी सं0–04 का अनुशंसा नहीं दिया गया था तो इस संबंध में विपक्षी सं0–04 ने जिला स्तरीय चयन समिति के यहां दावा/आपत्ति किया था जिस पर विचारोपरांत जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी सं0–04 का चयन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादी, विपक्षी सं0–04 एवं विपक्षी सं0–05 तीनों स्नातक है एवं कम्प्यूटर की डिग्री धारित करते है तथा वादी (श्री प्रवीण कुमार शर्मा) का जन्म तिथि 30.12.1988 है, विपक्षी सं0–04 (श्री उज्जवल कुमार) की जन्म तिथि 08.02.1985 है एवं विपक्षी सं0–05 (श्री अरूण कुमार) की जन्म तिथि 02.01.1987 है जिससे भी स्पष्ट है कि तीनों अभ्यर्थियों में सबसे अधिक उम्र विपक्षी सं0–04 की है उसके बाद विपक्षी सं0–05 की है तब वादी का है। जिस आधार पर विपक्षी सं0–04 एवं 05 का चयन हुआ है। जहाँ तक वादी के इस दावे का प्रश्न है कि विपक्षी सं0–04 की माँ वार्ड सदस्य है तो उन्हें अनुज्ञप्ति नहीं मिलना चाहिए। इस संबंध में ''बिहार

WEB COPY NOT OFFICIAL

लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2016'' के नियम 11 (ii) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि ***''मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।''*** उक्त नियम में कही भी यह नहीं दिया हुआ है कि उनके परिवार से कोई निर्वाचित सदस्य होने पर उन्हें अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी। अतएव वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा भी मान्य नहीं हो सकता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद अस्वीकृत किया जाता है।

**लेखापित एवं संशोधित**

**आयुक्त** **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL